अध्याय-I

सामान्य

अध्याय– I: सामान्य

1.1 परिचय

इस अध्याय में झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित प्राप्तियों की प्रवृति और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध बकाया करों के लंबित संग्रहण का विहंगावलोकन प्रस्तुत है।

1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 2017-18 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त हुए राज्यों को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल प्राप्ति में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े **तालिका-1.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका - 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	9,379.79	10,349.81	11,478.95	13,299.25	12,353.44
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**14.06**	**10.34**	**10.91**	**15.86**	**(-) 7.11**
	• कर-भिन्न राजस्व	3,752.71	4,335.06	5,853.01	5,351.41	7,846.67
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**6.14**	**15.52**	**35.02**	**(-) 8.57**	**46.63**
कुल		**13,132.50**	**14,684.87**	**17,331.96**	**18,650.66**	**20,200.11**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	8,939.32	9,487.01	15,968.75	19,141.92	21,143.63[1]
	• सहायता अनुदान	4,064.97	7,392.68	7,337.64	9,261.35	11,412.29
कुल		**13,004.29**	**16,879.69**	**23,306.39**	**28,403.27**	**32,555.92**
3	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**26,136.79**	**31,564.56**	**40,638.35**	**47,053.93**	**52,756.03**
4	**1 से 3 का प्रतिशतता**	**50**	**47**	**43**	**40**	**38**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

[1] पूर्ण विवरण के लिये कृपया झारखण्ड सरकार के वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या 14- राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों के लघु शीर्षवार का विस्तृत विवरण देखें। मुख्य शीर्ष 0005 के तहत आँकड़े- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0031-विविध कर प्राप्तियाँ (सम्पदा शुल्क), 0032-संपत्ति पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवा पर कर और 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, लघु शीर्ष-901 निवल प्राप्तियों में राज्यों का समानुदिष्ट हिस्सा के अधीन दर्ज आँकड़े जो वित्त लेखा में "ए-कर राजस्व" में दिखाये गये हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से अलग कर और विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखाया गया है।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 20,200.11 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 38 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के दौरान शेष 62 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से मिली। 2016-17 की तुलना में 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा सृजित कर राजस्व में 7.11 प्रतिशत की कमी आयी, जबकि इसी अवधि में गैर-कर राजस्व में 46.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रतिशतता के संदर्भ में वर्ष 2017-18 के लिये राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विघटन **चार्ट- 1.1** में दिखाया गया है।

चार्ट सं. 1.1
राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विघटन

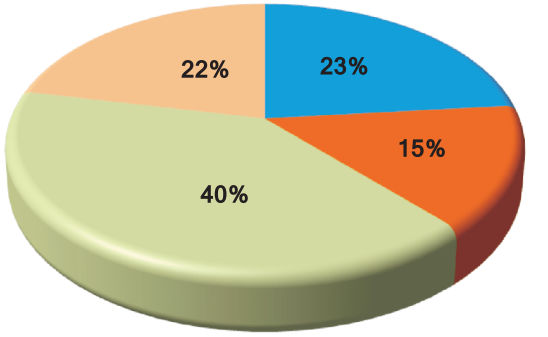

1.2.2 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण **तालिका - 1.2** में दिया गया है।

तालिका - 1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता	
								2016-17 के बजट अनुमान की तुलना में	2016-17 के वास्तविक की तुलना में
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	ब.अ.	7,874.50	9,267.95	11,180.02	12,703.00	5,000.00	(+) 10.21	(-) 6.74
		वास्तविक	7,305.08	8,069.72	8,998.95	10,549.25	5,714.69		
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	ब.अ.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
		वास्तविक	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123.88		
3	राज्य उत्पाद	ब.अ.	700.00	1,931.84	1,200.00	1,500.00	1,600.00	(+) 6.67	(-) 12.57
		वास्तविक	627.93	740.16	912.47	961.68	840.81		

तालिका - 1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता	
								2016-17 के बजट अनुमान की तुलना में	2016-17 के वास्तविक की तुलना में
4	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	ब.अ.	568.00	680.48	800.00	900.00	900.00	0.00	(-) 22.68
		वास्तविक	502.61	530.67	531.64	607.00	469.34		
5	वाहनों पर कर	ब.अ.	639.40	836.33	900.76	1,100.00	1,000.00	(-) 9.09	(+) 14.21
		वास्तविक	494.79	660.37	632.59	681.52	778.37		
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	ब.अ.	161.00	193.82	200.00	250.00	300.00	(+) 20.00	(+) 20.81
		वास्तविक	145.79	175.40	125.68	151.89	183.50		
7	भू-राजस्व	ब.अ.	95.00	300.14	300.00	400.00	400.00	0.00	(-) 35.07
		वास्तविक	229.84	83.54	164.35	240.26	156.01		
8	पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	ब.अ.	80.00	61.38	80.00	150.00	150.00	0.00	(+) 9.29
		वास्तविक	49.91	57.11	82.88	67.69	73.98		
9	अन्य[2]	ब.अ.	34.50	42.06	40.00	47.00	50.50	(+) 7.45	(-) 67.81
		वास्तविक	23.84	32.85	30.39	39.95	12.86		
कुल		**ब.अ.**	**10,152.40**	**13,314.00**	**14,700.78**	**17,050.00**	**18,400.50**	**(+) 7.92**	**(-) 7.11**
		वास्तविक	**9,379.79**	**10,349.81**	**11,478.95**	**13,299.25**	**12,353.44**		

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार संशोधित बजट अनुमान।

[2] मुख्य शीर्ष के अंतर्गत आँकड़े: 0022 - कृषि आय पर कर, 0023 - होटल प्राप्तियों पर कर, 0042 - वस्तु और यात्रियों पर कर, 0045 - वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क।

वर्ष 2017-18 के लिये कर राजस्व का विघटन **चार्ट-1.2** में दिखाया गया है।

चार्ट सं. 1.2
2017-18 के लिये कर राजस्व का विघटन
(₹ करोड़ में)

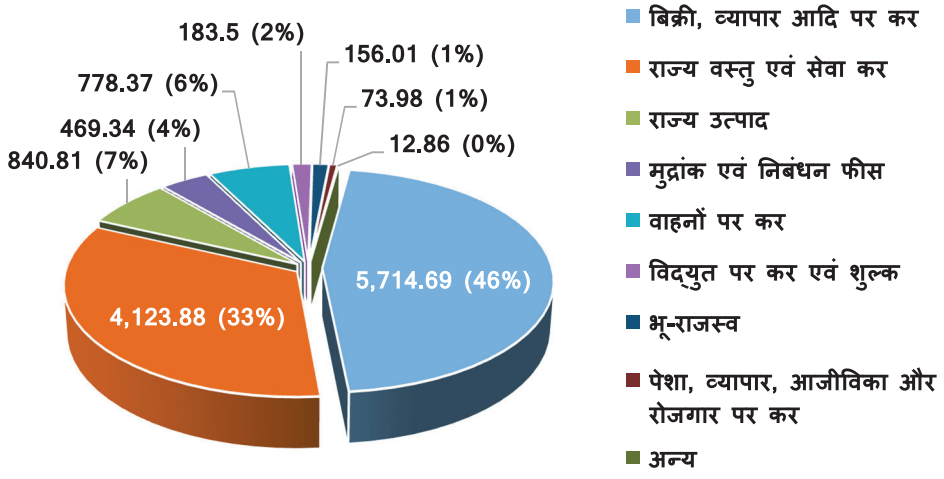

तालिका-1.2 से देखा जा सकता है कि विगत वर्ष की तुलना में बजट अनुमानों (संशोधित) की वृद्धि (-) 9.09 से 20 प्रतिशत के मध्य थी। वस्तु एवं सेवा कर (व.से.क.) के जुलाई 2017 से लागू होने के कारण बिक्री और व्यापार आदि पर कर के बजट अनुमान में ₹ 7,703 करोड़ की कमी की गयी थी और राज्य वस्तु एवं सेवा कर के लिये ₹ 9,000 करोड़ का बजट अनुमान निर्धारित किया गया था।

कर राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों में 2016-17 की तुलना में 2017-18 की प्राप्तियों में परिवर्तन के कारण निम्न थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर और राज्य वस्तु एवं सेवा कर: विभाग द्वारा 6.74 प्रतिशत की कमी का कारण जुलाई 2017 में मू.व.क. के स्थान पर व.से.क. को लागू किया जाना बताया गया (दिसम्बर 2018)।

राज्य उत्पाद: विभाग द्वारा 12.57 प्रतिशत की कमी का कारण 2016-17 में खुदरा दुकानों की संख्या 1,432 से घटकर 2017-18 में 679 हो गयी और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के कारण राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से उत्पाद दुकानों को अनिवार्य दूरी का होना बताया गया (फरवरी 2019)। वर्ष 2018-19 के लिये झारखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह उल्लेख किया गया है कि उत्पाद शुल्क से राजस्व में गिरावट मुख्य रूप से एक नीतिगत बदलाव के कारण हुई थी जिसमें राज्य सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री को संचालित किया गया था। परिणामस्वरूप, दुकानों की संख्या में भारी कमी आयी और राज्य उत्पाद शुल्क से राजस्व में काफी गिरावट आयी। इसके अलावा, 2018-19 के लिये उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की "2018-19 की उपलब्धि और कार्ययोजना प्रतिवेदन 2019-20" के प्रतिवेदन में शामिल शराब/ बीयर के खपत विवरण की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि शराब

की खपत 2016-17 में 2.34 करोड़ लंदन प्रूफ लिटर (एल.पी.एल.) से कम होकर (15.29 प्रतिशत) 2017-18 में 1.98 करोड़ एल.पी.एल. हो गयी। इसी तरह, 2016-17 में बीयर की खपत 2.06 करोड़ बल्क लीटर से घटकर (2.73 प्रतिशत) 2017-18 में 2.01 करोड़ बल्क लीटर हो गयी।

मुद्रांक एवं निबंधन फीस: विभाग द्वारा 22.68 प्रतिशत की कमी का कारण जून 2017 से प्रभावी, महिलाओं के पक्ष में किये गये अचल संपत्तियों के विक्रय विलेखों पर मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस में छूट को बताया गया (नवंबर 2018)।

वाहनों पर कर: विभाग ने 14.21 प्रतिशत वृद्धि का कारण 2016-17 में 4,67,897 वाहनों की तुलना में 2017-18 में 6,07,311 वाहनों का निबंधन और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 32 और 81 के अंतर्गत, 29 दिसंबर 2016 से प्रभावी फीस का पुनरीक्षण होना बताया गया (अप्रैल 2019)।

भू-राजस्व: विभाग द्वारा 35.07 प्रतिशत की कमी का कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) परियोजनाओं को भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण करना और 3 जनवरी 2017 से प्रभावी सरकारी/खास महाल भूमि का हस्तांतरण/ बन्दोबस्त के संबंध में उपकर एवं लगान की दरों में कमी होना बताया गया (अक्टूबर 2018)।

1.2.3 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सृजित कर-भिन्न राजस्व का विस्तृत विवरण **तालिका-1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका -1.3
कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता	
								2016-17 के बजट अनुमान की तुलना में	2016-17 के वास्तविक की तुलना में
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	ब.अ.	3,500.00	4,699.47	5,500.00	7,050.00	8,508.33	(+) 20.69	(+) 45.11
		वास्तविक	3,230.22	3,472.99	4,384.43	4,094.25	5,941.36		
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	ब.अ.	5.25	4.18	10.39	6.00	8.00	(+) 33.33	(-) 0.89
		वास्तविक	5.17	3.66	4.13	4.48	4.44		
3	ब्याज प्राप्तियाँ	ब.अ.	115.00	243.36	90.00	275.00	300.00	(+) 9.09	(+) 39.18
		वास्तविक	69.48	143.04	122.44	121.34	168.88		
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	ब.अ.	20.00	3.62	10.00	6.00	6.00	0.00	(+) 269.07
		वास्तविक	5.24	4.16	3.73	36.79	135.78		

तालिका -1.3
कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता	
								2016-17 के बजट अनुमान की तुलना में	2016-17 के वास्तविक की तुलना में
5	अन्य[3]	ब.अ.	703.40	742.39	693.64	1,088.76	2,435.06	(+) 123.65	(+) 45.83
		वास्तविक	442.60	711.21	1,338.28	1,094.55	1,596.21		
कुल		ब.अ	4,343.65	5,693.02	6,304.13	8,425.76	11,257.39	(+) 33.61	(+) 46.63
		वास्तविक	3,752.71	4,335.06	5,853.01	5,351.41	7,846.67		

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व और प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार संशोधित बजट अनुमान।

वर्ष 2017-18 के लिए कर-भिन्न राजस्व का विघटन **चार्ट-1.3** में दिखाया गया है।

चार्ट सं. 1.3
2017-18 के लिये कर-भिन्न राजस्व का विघटन
(₹ करोड़ में)

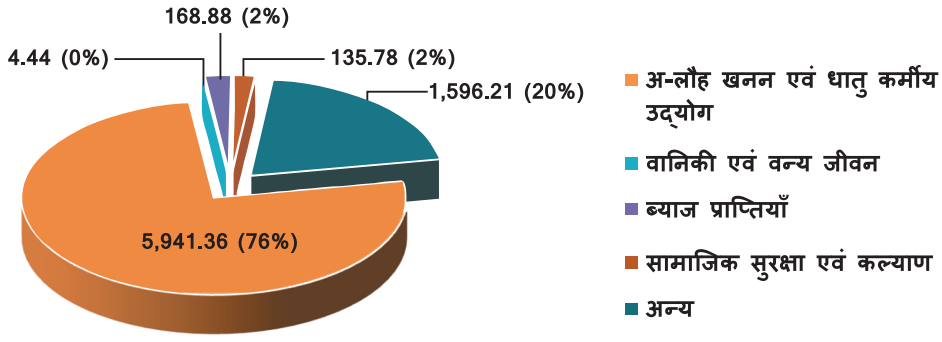

विभागों ने कई अनुरोधों के बावजूद 2016-17 की तुलना में 2017-18 में राजस्व प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

[3] अन्य में शामिल पशुपालन (₹ 10.57 करोड़), नागर विमानन (₹ 6.02 करोड़), नागरिक आपूर्ति (₹ 14.67 करोड़), फसल कृषि (₹ 166.19 करोड़), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 19.46), मछलीपालन (₹ 9.52 करोड़), आवास (₹ 24.56 करोड़), उद्योग (₹ 1.14 करोड़), श्रम एवं रोजगार (₹87.63 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 14.22 करोड़), मुख्य सिंचाई (₹ 131.46 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹ 142.69 करोड़), विविध सामान्य सेवा (₹ 79.41 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवा (₹ 218.16 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 83.40 करोड़), अन्य सामाजिक सेवा (₹ 191.83 करोड़), पुलिस (₹ 51.47 करोड़), लोक निर्माण कार्य (₹ 14.30 करोड़), पथ एवं पुल (₹ 73.37 करोड़), शहरी विकास (₹ 121.83 करोड़), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 77.09 करोड़) आदि। {कोष्ठक में दर्शाये गये आँकड़े वर्ष 2017-18 की वास्तविक प्राप्तियाँ हैं}

2017-18 के दौरान खनन एवं भू-तत्व विभाग में 45.11 प्रतिशत की वृद्धि के कारणों का विश्लेषण करने के लिये लेखापरीक्षा ने विभाग से अधिक संग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्राप्त जानकारी से यह देखा गया कि:

1. कॉमन कॉज वादों (अनुमोदित खनन योजना में वर्णित मात्रा से अधिक खनिज उत्पादन और खनन योजना के बिना उत्पादन) के मामलों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में चाईबासा में लौह अयस्क खानों से ₹ 468.31 करोड़ अर्थदण्ड की वसूली हुई;
2. लेखापरीक्षा अवलोकन के फलस्वरूप मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, वेस्ट बोकारो कोलियरी से ₹ 448.41 करोड़ की वसूली हुई (वर्ष 2015-16 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 6.4); और
3. 2017-18 के दौरान पलामू में मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक नये कोयला ब्लॉक से उत्पादन शुरू हुआ था, जिससे विभाग ने ₹ 248.91 करोड़ संग्रहित किये।

ब्याज प्राप्तियाँ: विगत वर्ष की तुलना में 2017-18 में प्राप्ति शीर्ष "0049- ब्याज प्राप्तियों" में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि झारखण्ड सरकार के कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ने (अगस्त 2017) निर्देश जारी किया कि योजनाओं की अव्ययीत राशि पर ब्याज की राशि जो वर्षों से बैंकों में पड़ी थी उन्हें 15 दिनों के अन्दर कोषागार में जमा कर दी जाए। तदनुसार, '0049- ब्याज प्राप्तियाँ' के अंतर्गत लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियों' में राशि जमा की गयी जिसके कारण वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केन्द्रीय हिस्से और राज्य के हिस्से में ब्याज राशि का द्विभाजन राजस्व शीर्ष '0049' के चालान और अनुसूची में उपलब्ध नहीं था।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 2017-18 में 269 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि की वसूली को गलत तरीके से लघु शीर्ष '913- सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली' में राज्य के राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि अन्य राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जैसे 0070- अन्य प्रशासनिक सेवा (₹ 166.84 करोड़), 0075- विविध सामान्य सेवायें (₹ 61.13 करोड़), 0217- शहरी विकास (₹ 96.31 करोड़), 0250- अन्य सामाजिक सेवायें (₹ 72.28 करोड़), 0401- फसल कृषि (₹ 100.28 करोड़), 0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 48.77 करोड़) में भी सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली को गलत तरीके से राज्य के राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत लघु शीर्ष '913- सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली' में राजस्व प्राप्तियों

के रूप दिखाया गया था। केन्द्रीय हिस्से और राज्य के हिस्से में वापस की गयी राशि का विभाजन वी.एल.सी. डेटाबेस/चालान में उपलब्ध नहीं था।

अनुशंसा: सरकार महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड के परामर्श से सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि की वसूली के लिये लेखांकन प्रणाली की समीक्षा कर सकती है। सरकार उन सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की गणना करने पर भी विचार कर सकती है, जिन्हें राज्य के राजस्व प्राप्तियों के रूप में गलत तरीके से लघु शीर्ष '913 सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली' के अंतर्गत राज्य की राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया था और यदि कोई केन्द्रीय हिस्से की सहायता अनुदान की शेष राशि हो तो भारत सरकार को वापस कर सकती है।

1.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2018 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व के बकाये की राशि ₹ 6,355.57 करोड़ थी, जिसमें ₹ 1,824.43 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक बकाया था, जैसा कि **तालिका-1.4** में वर्णित है।

तालिका-1.4
राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	31 मार्च 2018 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,047.23	1,579.81	₹ 6,047.23 करोड़ में से ₹ 315.53 करोड़ के माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये। ₹ 872.89 करोड़ एवं ₹ 403.80 करोड़ की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 234.99 करोड़ की माँग पर क्रमश: सुधार/पुनर्विचार आवेदन के कारण रोक लगायी गयी और ₹ 60.37 करोड़ की राशि का अपलेखन संभावित था। शेष ₹ 4,159.65 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (फरवरी 2020)।
2	वाहनों पर कर	272.16	215.25	₹ 272.16 करोड़ में से ₹ 98.57 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये। शेष ₹ 173.59 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (फरवरी 2020)।

तालिका-1.4
राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	31 मार्च 2018 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
3	राज्य उत्पाद	36.18	29.37	₹ 36.18 करोड़ के बकाये में से ₹ 15.53 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ₹ 7.65 करोड़ एवं ₹ 6.90 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों, अन्य न्यायिक प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 10.56 लाख की वसूली सुधार/ पुनर्विचार के आवेदन के कारण रोक लगायी गयी एवं ₹ 16.08 लाख की राशि का अपलेखन संभावित था। शेष ₹ 12.67 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (फ़रवरी 2020)।
कुल		**6,355.57**	**1,824.43**	

31 मार्च 2018 को राजस्व के बकाये का विघटन **चार्ट-1.4** में दिखाया गया है।

चार्ट सं. 1.4
31 मार्च 2018 का राजस्व के बकाये का विघटन
(₹ करोड़ में)

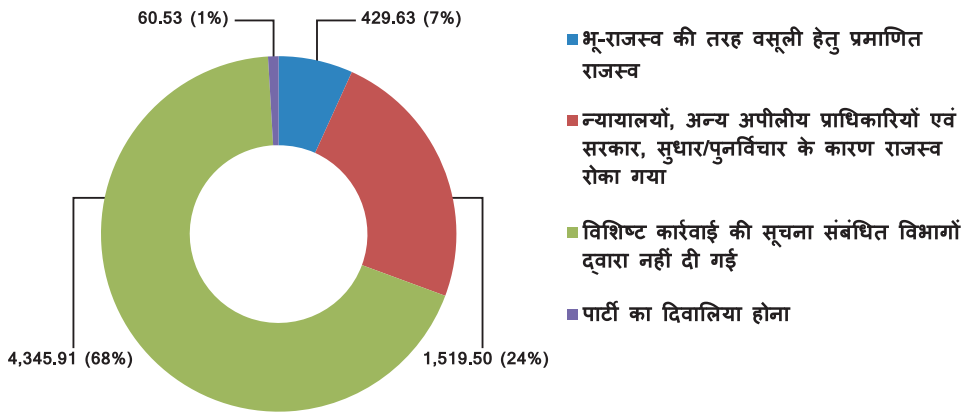

उपर्युक्त लंबित ₹ 6,355.57 करोड़ में से ₹ 429.63 करोड़ की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये एवं ₹ 1,284.41 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों/अन्य अपीलीय प्राधिकारियों और सरकार ने ₹ 235.09 करोड़ की माँग पर सुधार/पुनर्विचार आवेदन के कारण रोक लगायी और ₹ 60.53 करोड़ की राशि का

अपलेखन संभावित था, जबकि शेष ₹ 4,345.91 करोड़ के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना संबंधित विभागों द्वारा नहीं दी गयी।

अनुशंसा:

सरकार समय-समय पर लंबित राजस्व के बकाये की समीक्षा कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि जिन बकायों पर न्यायालय/अन्य अपीलीय प्राधिकारियों के द्वारा रोक नहीं लगायी गई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वसूली किया जाय।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण-संक्षेपित स्थिति

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना द्वारा जारी (अगस्त 1993) निर्देशों के अनुसार, सरकारी विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन महीने के अन्दर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर कार्रवाई की टिप्पणी (ए.टी.एन.) छह महीने के अन्दर विभागों द्वारा प्रस्तुत किये जाने चाहिये। 31 मार्च 2013, 2014, 2015 2016 एवं 2017 को समाप्त हुए वर्ष के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो मार्च 2014 एवं जुलाई 2018 के मध्य राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, में शामिल 136 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) के संबंध में तीन महीने के औसत विलंब के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी (विभागों का उत्तर) प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब किया गया। विभिन्न विभागों[4] से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणी का विवरण **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका -1.5

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समाप्ति का वर्ष	विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2013	04.03.2014	27	12	15
2	31 मार्च 2014	26.03.2015	28	20	8
3	31 मार्च 2015	15.03.2016	32	4	28
4	31 मार्च 2016	02.02.2017	32	14	18
5	31 मार्च 2017	20.07.2018	17	0	17
कुल			**136**	**50**	**86**

लो.ले.स. ने वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित 16 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की, लेकिन उन कंडिकाओं पर कोई सिफारिश नहीं की गयी थी।

[4] वाणिज्यकर (39 कंडिकायें); राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध (9 कंडिकाये); परिवहन (22 कंडिकायें); राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार (9 कंडिकायें); और खनन एवं भूतत्व (7 कंडिकायें)।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात लेखापरीक्षा, निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को तथा उसकी प्रतियाँ उनके उच्च पदाधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई और अनुश्रवण के लिये निर्गत करती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक के लिये निर्गत नि.प्र. की समीक्षा में उदघटित हुआ कि 907 नि.प्र. के संबंध में 8,906 कंडिकायें जून 2019 के अंत तक लंबित थी। इन नि.प्र. में बताये गये वसूली योग्य संभावित राजस्व ₹ 14,387.85 करोड़ के बराबर है जबकि 2017-18 में राज्य का कुल राजस्व संग्रहण ₹ 20,200.11 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागवार विवरण **तालिका-1.6** में दिया गया है।

तालिका -1.6
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि. प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्यकर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	220	4,734	6,891.85
		प्रवेश कर	5	5	9.54
		विद्युत शुल्क	12	67	100.11
		मनोरंजन कर आदि	1	2	0.12
2	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	149	776	854.70
3	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	भू-राजस्व	59	603	4,107.98
4	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	160	1,143	349.80
5	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	140	642	36.73
6	खनन एवं भू-तत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	161	934	2,037.02
कुल			**907**	**8,906**	**14,387.85**

2008-09 से निर्गत किये गये 142 नि.प्र. के प्रथम उत्तर भी जिसे नि.प्र. निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अन्दर कार्यालयों प्रमुखों से प्राप्त होना है, प्राप्त नहीं हुए। विभागवार विवरण **तालिका-1.7** में दिया गया है।

तालिका-1.7

प्रथम उत्तर हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि. प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्यकर	बिक्री,व्यापार आदि पर कर	28	560	494.26
		प्रवेश कर	4	4	9.97
		विद्युत शुल्क	8	18	16.30
		मनोरंजन कर आदि	1	1	0.10
2	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	भू-राजस्व	40	488	3,227.97
3	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	32	240	95.79
4	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	10	42	8.05
5	खनन एवं भू-तत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	19	107	132.49
कुल			**142**	**1,460**	**3,984.93**

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के पाँच विभागों[5] को शामिल किया गया था और 2017-18 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा खनन प्राप्तियों से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 548 इकाइयों में से 57 इकाइयों (10.40 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। आगे लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के डंप आँकड़ों और निबंधन के अभिलेखों की जाँच की, और इसका क्रमशः परिवहन एवं राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभागों की संबंधित इकाइयों के अभिलेखों के साथ सत्यापन किया गया। 2016-17 के दौरान पाँच विभागों ने ₹ 17,133.96 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया था, जिनमें से 57 लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 5,272.39 करोड़ (30.77 प्रतिशत) संग्रहित किये। 57 लेखापरीक्षित इकाइयों में, और डंप आँकड़ों की जाँच से, 8,769 मामलों में लेखापरीक्षा ने ₹ 1,288.46 करोड़ (इकाइयों द्वारा संग्रहित राजस्व का 24.44 प्रतिशत) के अवनिर्धारण/अल्पारोपण/राजस्व की हानि को उद्घटित किया। संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित 7,776 मामलों में ₹ 340.20 करोड़ (26.40 प्रतिशत) के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और 781 मामलों में ₹ 3.57 करोड़ वसूल किया।

[5] वाणिज्यकर, उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार और खनन एवं भूतत्व।

1.7 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में वर्ष के दौरान किये गये स्थानीय लेखापरीक्षा से चयनित आठ कंडिकायें और **"झारखण्ड में भूमि का अर्जन और अलगाव"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 886.47 करोड़ है, शामिल हैं।

विभाग/सरकार ने ₹ 331.47 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और ₹ 3.03 करोड़ वसूली की। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय II से IV में की गयी है।

बतायी गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा आधारित हैं। अत: विभाग/सरकार सभी इकाइयों का यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा एक प्रणाली, जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके, को स्थापित करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण कर सकती है।